संख्या 31011/2/2003-स्था.(क-IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

* * *

नई दिल्ली, दिनांक : 18 जून, 2010

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय :- केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 - जम्मू और कश्मीर के भ्रमण के लिए विमान से यात्रा करने में छूट

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेशक हुआ है कि सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 में छूट देते हुए सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत पर जम्मू और कश्मीर के भ्रमण के लिए विमान से यात्रा करने की अनुमति देने का निम्नलिखित स्कीम के अनुसार निर्णय लिया है:

(i) भारत सरकार के सभी अधिकारी/कर्मचारियों को अपने गृह नगर की छुट्टी यात्रा रियायत के एक ब्लॉक का परिवर्तन कर जम्मू और कश्मीर का भ्रमण करने की अनुमति होगी।

(ii) विमान से यात्रा के हकदार, भारत सरकार के अधिकारी/कर्मचारी अपनी पात्रता श्रेणी में विमान से इस अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठा सकते हैं।

(iii) भारत सरकार के अन्य सभी कर्मचारी एयर इंडिया की छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.)-80 किराए तक सीमित अपनी हकदारी के अध्यधीन दिल्ली और अमृतसर से इकॉनमी क्लास में जम्मू और कश्मीर के किसी भी स्थान की यात्रा कर सकते हैं। उनकी तैनाती स्थान से दिल्ली/अमृतसर तक की यात्रा उनकी पात्रता के अनुसार करनी होगी।

(iv) छुट्टी यात्रा रियायत पर अन्य स्थानों की यात्रा केवल एयर इंडिया से करने का प्रतिबंध जारी रहेगा।

(v) यह योजना कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होगी।

2. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

3. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा ओर लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे है।

(श्रीमती राजबाला सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23092313

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग